मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2012-भाद्र 30, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

Applicant's Adv. Shri B.T.Dave

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL, CITY CIVIL & SESSIONS COURT, AHMEDABAD.

Exh.31

M.A.C.MANo. 539 OF 2007

APPLICANT :- Ravajibhai Punabhai Gadhiya

Versus

OPPONENT -2. Ramavtarsinh S/o Vijayramsinh Bhadoriya
At. Mandvinagar Birla Nagar,
Gwalior [M.P]

WHEREAS, the applicant has filed claim petition in this Tribunal for compensation of Rs. 1,50,000/- on 04/07/2007 U/s. 166 and also filed interim application for Rs. 25,000/- U/s. 140 of M.V. Act for accident caused by No M.P. 07-G-6221 at about 9-00 a.m. on Date : 16/5/2006 at Thakkernagar Cross Road, Juridiction of Naroda Police Station and notice of this Tribunal against above opponent has been returned unserved.

This PUBLIC NOTICE is issued by the Tribunal for above Opponent. Take Notice of this claim that it will be heard by the Tribunal on 03-10-2012 at10:30 a.m. If you does not appear and file your defence, the claim will be decided ex-parte against you.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF THE TRIBUNAL THIS 28th DAY OF August 2012.

DRAWN BY

(M.G.BHAVSAR)
Assistant

CHECKED BY

(S.N.SHELAT.)
Superintendent

(N.V. KAPADIYA)
Dy. Registrar
City Civil & Sessions Court,
Ahmedabad.

अन्य सूचनाएं

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स रविन्द्र सिंह तोमर जो फर्म रजिस्ट्री की अभिस्वकृति रजिस्टर क्रमांक ए. आर. जी./फर्म/2, वर्ष 2004-2005 है. मैं भागीदार श्रीमती अंजना तोमर पत्नी श्री रविन्द्र सिंह तोमर थी जो अब वर्णित फर्म से अलग हो गई हूँ. अब श्रीमती अंजना तोमर पत्नी श्री रविन्द्र सिंह तोमर वर्णित फर्म में भागीदार नहीं रही हैं और उक्त फर्म में मेरा किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं रहा है और फर्म की रचना में परिवर्तन किया गया है और फर्म से अलग होने की सूचना हेतु प्रकाशन प्रस्तुत है. सूचित हों.

इति दिनांक 10 सितम्बर, 2012

भवदीय

अंजना तोमर पत्नी श्री रविन्द्र सिंह तोमर,
पता—101, रजनीगंधा कॉम्पलैक्स, गोले का मंदिर,
ग्वालियर.

(139-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं हेमन्त बिसेन पिता देवेन्द्र कुमार बिसेन, निवासी मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) सूचित करता हूँ कि मेरा नाम भूलवश केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में हेमन्त पंवार दर्ज होता रहा है, चूँकि मेरा वास्तविक नाम ''हेमन्त बिसेन'' जाति पंवार है. अत: इसे परिवर्तित/संशोधित कर सभी शैक्षणिक, शासकीय रिकार्डों में हेमन्त पंवार के स्थान पर ''हेमन्त बिसेन'' लिखा- पढ़ा एवं समझा जावें.

पुराना नाम :

(हेमन्त पंवार)

नया नाम :

(हेमन्त बिसेन)
पिता-देवेन्द्र कुमार बिसेन,
मलाजखण्ड जिला बालाघाट.

(140-बी.)

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम पद्मेश तखतानी था जिसे बदलकर प्रिया तखतानी कर लिया है, मुझे मेरे नये नाम प्रिया तखतानी से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(पद्मेश तखतानी)

नया नाम :

(प्रिया तखतानी)
(Priya Takhtani)
WP— 83 लेक पर्ल गार्डन
भोपाल (म.प्र.).

(141-बी.)

SURNAME CHANGE

I AMRISH LOHAR (AMARISH LOHAR) here by declared that, now I am changed my surname and name's spellings AMRISH LOHAR (AMARISH LOHAR) to AMRISH DEVDA. Henceforth my name be known &written as AMRISH DEVDA for all purposes.

OLD NAME :

(AMRISH LOHAR)
(AMARISH LOHAR)

NEW NAME :

(AMRISH DEVDA)
197 Tilak Nagar EXT. Indore,
(Madhya Pradesh).

(142-B.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा पूर्व में नाम उप नाम सहित योगेश बिन्दल (YOGESH BINDAL) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उप नाम सहित योगेश अग्रवाल (YOGESH AGRAWAL) हो गया है. अत: अब मुझे अपने नये नाम उप नाम सहित योगेश अग्रवाल (**YOGESH AGRAWAL**) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(योगेश बिन्दल)

(YOGESH BINDAL)

(143-बी.)

नया नाम :

(योगेश अग्रवाल)

(YOGESH AGRAWAL)

नि-32, एच. आई.जी. हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
वार्ड नं.31, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने,
एल आई सी ऑफिस के पीछे, गुना (मध्यप्रदेश).

विविध

निविदा सूचनाएं

जल विज्ञान परियोजना, द्वितीय चरण राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा छोटे कार्य

द्वितीय आमंत्रण

होशंगाबाद, दिनांक 16 अगस्त, 2012

नि.आ.सू. क्र. 01/एन.सी.बी./डब्ल्यू-9/डी.डी.-2/2012-13—

1. भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/विश्व बैंक से जल निर्माण परियोजना हेतु ऋण प्राप्त हुआ है (नं. 4749 आई. एन.)से 105 मिलियन डालर राशि का कुछ भाग नीचे वर्णित कार्य के उपयुक्त भुगतान हेतु नियत किया गया है. ऐसे निविदाकार जो मध्यप्रदेश शासन या अन्य राज्य या भारत सरकार या राज्यों एवं भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा पंजीकृत हों, निविदा डालने हेतु पात्र होंगे. आई. बी. आर. डी. मार्गदर्शिका में परिभाषित पात्र स्रोत देश (एलिजिबल सोर्स कन्ट्रीज) के ठेकेदार भी निविदा के पात्र होंगे. ठेके की प्राप्ति हेतु निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रपत्र में निविदाकारों के लिये निर्देश की धारा-3 (तीन) के अंतर्गत योग्यता मापदंड को नोट कर ले.
2. उप-संचालक जल मौसम विज्ञान संभाग क्रमांक-2, होशंगाबाद मध्यप्रदेश तालिका में वर्णित कार्यों के लिये निविदाएं आमंत्रित करते हैं. निविदाकार चाहे तो तालिका में वर्णित समस्त पैकेज में निविदा दे सकता है या किसी भी एक पैकेज में या एक से अधिक पैकेज में भी निविदा दे सकता है.
3. निविदा प्रपत्र (अतिरिक्त प्रति) (1) उप-संचालक जल मौसम विज्ञान संभाग क्र 2, होशंगाबाद मध्यप्रदेश. (2) संचालक जल मौसम विज्ञान राज्य जल आंकड़ा केन्द्र जल संसाधन विभाग कोलार रोड, भोपाल मध्यप्रदेश. (3) प्रमुख अभियंता (बोधी) जल संसाधन विभाग कोलार रोड भोपाल से दिनांक 27 अगस्त, 2012 से दिनांक 27 सितम्बर, 2012 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10: 30 बजे से सायं 5:30 बजे के दौरान तालिका में वर्णित राशि का भुगतान कर क्रय की जा सकती है जो राशि वापस देय नहीं होगी. तीन प्रतियां जो अग्रिम नगद मूल्य अथवा अधिसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो कि उप-संचालक जल मौसम विज्ञान संभाग क्रमांक 2, होशंगाबाद मध्यप्रदेश के नाम रेखांकित हो, जमा करने पर प्राप्त किया जा सकती है जो राशि वापस नहीं की जावेगी. इच्छुक निविदाकार अन्य जानकारी इसी पते पर प्राप्त कर सकते हैं. डाक द्वारा निविदा अभिलेख मंगाये जाने पर 200/- दो सौ रुपये अतिरिक्त देय मान्य होगा तथा डाक के विलम्ब या गुम होने की स्थिति में विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी.
4. निविदा की वैधता निविदा जमा करने की निर्धारित दिनांक से 90 दिन तक मान्य होनी चाहिए.
5. निविदा दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को 15:00 बजे तक या उसके पूर्व उप-संचालक जल मौसम विज्ञान संभाग क्रमांक 2, होशंगाबाद मध्यप्रदेश को प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा उसी दिन 15:30 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में जो उपस्थित रहने के इच्छुक हों, उनके सामने खोली जावेंगी. यदि कार्यालय निविदा खोलने की दिनांक को बंद रहता है तो निविदाएं कार्यालय खुलने के अगले दिवस पर उसी समय तथा उसी स्थान पर ग्रहण की जावेंगी व खोली जावेंगी.
6. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में देखे जा सकते हैं.
7. निविदा सूचनाओं हेतु निविदाकारों को नियमित रूप से विभागीय वेबसाइट के पोर्टल को देखने की सलाह दी जाती है.

8. निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में वेबसाईट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा. निविदा में संशोधन बावत् पृथक् से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जावेगा.

9. निविदा की जानकारी विभाग की वेबसाईट **www.mp.gov.in/wrd** तथा **www.tender.gov.in/wrd** पर भी देखी जा सकती है.

तालिका

पैकेज न.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.	कार्य अवधि	पंजीकृत ठेकेदार की न्यूनतम वांछित श्रेणी
1	2	3	4	5	6
ग्रुप-1	वेनगंगा कछार के अंतर्गत बालाघाट जिले में वेनगंगा नदी पर स्थित खैरी जी. डी. स्थल पर स्टिलिंग वेल का निर्माण कार्य.	रु. 4.65 लाख (रुपये चार लाख पैंसठ हजार मात्र)	रु. 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र)	कार्यादेश से 90 दिवस वर्षाकाल को छोड़कर.	सी-श्रेणी या इसके ऊपर.
ग्रुप-2	वेनगंगा कछार के अंतर्गत बालाघाट जिले में वेनगंगा नदी पर स्थित खैरी जी. डी. स्थल के चौकीदार हटमेट का निर्माण कार्य.	रु. 2.87 लाख (रुपये दो लाख सतासी हजार मात्र)	रु. 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र)	कार्यादेश से 90 दिवस वर्षाकाल को छोड़कर.	सी-श्रेणी या इसके ऊपर.

एम. के लोवंशी,
उप-संचालक,
जल मौसम विज्ञान संभाग क्र.-2,
होशंगाबाद.

(429)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, तराना, जिला उज्जैन

तराना दिनांक 21 अगस्त,2012

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (तीस) की धारा-5 की उपधारा (2),

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.क्यू/री/2011-12/660.—श्री गुरू मंदिर न्यास तराना की ओर से आवेदक संजय ताराणेकर पिता श्री शंकर तराणेकर 81/1 स्नेहलता गंज इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई सम्पति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत करें.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम . . श्री गुरू मंदिर सेवा न्यास.

पता . . 115/1 जवाहर मार्ग वार्ड क्र. 14, हास्पिटल रोड, तराना.

अचल सम्पत्ति . . निरंक.

चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

माला श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार..

(423)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, बड़वाह, जिला खरगोन

रा.प्र.क्र./01/बी-113(1)/2011-12.

प्रारूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-7 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाह, जिला खरगोन के समक्ष.

चूंकि श्री रजनीकांत पिता रमानाथ जोशी, निवासी—डी-303 माउंट क्लासिक-11 योगी हि मुलंड (पश्चिम), (2) श्री नटवर पिता हरीनारायण पारीक, निवासी—कान्दीवली (इस्ट) मुम्बई. (3) श्री अनिल पिता रामप्रसाद पाल निवासी— इंदौर. (4) श्री रामनिवास पिता सौभाग्यमल बिंदल, निवासी—शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर. (5) श्री मधुकर पिता मुरलीधर व्यास, निवासी—नासिक ने संयुक्त रूप से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 (2) के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 अगस्त, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के तहत विचार के लिए लिया जावेगा.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाह, जिला खरगोन का अपने न्यायालय में दिनांक 21 अगस्त, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थावित करती हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त समयावधि के भीतर या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	..	''श्री स्वामी रामानंद भक्तमालधाम सेवा ट्रस्ट ग्राम डेहरिया'' तहसील बड़वाह, जिला खरगोन.
लोक न्यास की सम्पत्ति :—		
अचल सम्पत्ति	..	1. ग्राम डेहरिया की कृषि भूमि ख. नं. 36/2, रकबा 0.437 हे.
		2. ग्राम डेहरिया की कृषि भूमि ख. नं. 36/3, रकबा 0.437 हे.
		3. ग्राम डेहरिया की कृषि भूमि ख. नं. 36/4, रकबा 0.437 हे.
चल सम्पत्ति	..	1. रुपये 11,000/- (रुपये ग्यारह हजार मात्र) नगद.

शालिनी सोरते,

(424) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर, जिला बड़वानी

फार्म नंबर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष.

आवेदक श्री हाजी इनायतुल्लाह पिता हाजी सुल्तानजी, मुसलमान, निवासी—अंजड, तहसील अंजड द्वारा ग्राम अंजड में म. मदरसा-ए-मदीना ट्रस्ट खोलने के लिए ट्रस्ट पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जर्ये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करे. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

पी. एस. चौहान,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(425)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''एन जी ओ'स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ट्रस्ट '' कार्यालय 18/3, परदेशीपुरा, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री राजेश शुक्ला पिता टी. एन. शुक्ला, निवासी—18/3, परदेशीपुरा, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''एन जी ओ'स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ट्रस्ट ''
पता	:	18/3, परदेशीपुरा, इन्दौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक 03 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(426)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''मालपानी पारमार्थिक एवं चेरिटेबल ट्रस्ट '' कार्यालय 41-42, छत्रपति नगर, एरोड्रम रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री सत्यनारायण मालपानी पिता प्रहलाददास मालपानी, श्री मनोज पिता सत्यनारायण मालपानी एवं श्री निलेश पिता सत्यनारायण मालपानी, निवासी—41-42, छत्रपति नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : ''मालपानी पारमार्थिक एवं चेरिटेबल ट्रस्ट ''

पता : 41-42, छत्रपति नगर, एरोड्रम रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र)

आज दिनांक 03 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(426-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''अपने राम का निराला धाम ट्रस्ट'' कार्यालय—जय जय श्री राम मन्दिर वैभव नगर, सेक्टर ''ए'', कनाड़िया रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री प्रकाशचन्द्र वागरेचा पिता दानमल वागरेचा, निवासी—45, वैभव नगर, सेक्टर-ए, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : ''अपने राम का निराला धाम ट्रस्ट''

पता : जय जय श्री राम मन्दिर वैभव नगर, सेक्टर ''ए'', कनाडिया रोड़, इन्दौर मध्यप्रदेश

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : रुपये 1,100/- (अक्षरी रुपये एक हजार एक सौ मात्र)

आज दिनांक 04 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(426-B)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक 17 अगस्त, 2012

क्र./मा.चि./373.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र अधिकारी, चितरंगी, परिक्षेत्र कार्यालय को कार्यालय के चालान क्रमांक 09, दिनांक 02 फरवरी, 1999 के द्वारा बीट हैमर प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्र अधिकारी, चितरंगी ने पत्र क्रमांक 642, दिनांक 14 जुलाई, 2012

से इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि वनरक्षक श्री प्रेम शंकर मिश्रा दिनांक 27 जून, 2012 को बीट भ्रमण के दौरान थैले से उक्त हैमर गिरकर गुम हो गया है. जिसकी रिपोर्ट पुलिस चौकी, चितरंगी में दर्ज करा दी गई है एवं हैमर खोजबीन के समस्त प्रयास असफल रहे.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न दर्शित गुमशुदा हैमर को स्टॉक रजिस्टर के अभिलेख में अपलेखित किया जाता है.

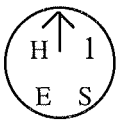

उक्त हैमर की कीमत रु. 150.00 (एक सौ पचास रुपये मात्र) श्री प्रेम शंकर मिश्रा, वनरक्षक से एक मुश्त वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा वनरक्षक को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है. उपरोक्त हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो वे तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाना/पुलिस चौकी या कार्यालय वनमण्डल, सिंगरौली में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के पश्चात् यदि कोई उक्त हैमर को गुम दिनांक से अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उनके विरुद्ध दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

एस. के. सिंह,
(427) वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1444.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1243, धार दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरगढ़ी, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1188, दिनांक 17 अगस्त, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरगढ़ी, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भंवर मकवाना,
(440) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी

मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कसेरा झालोनी पंजीयन क्रमांक 311, दिनांक 13 फरवरी, 1995 के परिसमापक श्री आर.सी. जैन, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पिछोर द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है. जिससे सहमत होते हुए पूर्व आदेश क्र./परि./39, दिनांक 16 जनवरी, 2012 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है. संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निम्नांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है—

1.	श्री लल्ली राम केवट	अध्यक्ष
2	श्री रामदास	उपाध्यक्ष
3.	श्री नन्द राम	संचालक
4.	श्री चंउआ	संचालक
5.	श्री रन्धीर	संचालक

बी. सी. उइके,
(417) उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 02 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उप नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./1.— मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक सहकारी समितियां, छतरपुर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. समितियां निम्न प्रकार हैं :—

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र./दिनांक	आदेश क्रमांक / दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या. बंधीकला	1172/16-07-2008	366/16-03-2012
2.	दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, मर्या. हतना	1147/06-06-2008	365/16-03-2012
3.	खजुराहो मेडिकल एण्ड इन्डस्ट्रियल सहकारी समिति, मर्या. छतरपुर	1089/08-03-2006	370/16-03-2012

अत: मैं, एम. के. रावत, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के उप-नियम 57(सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्रों के मुझे लिखित रूप में सहायक पंजीयक (अंकेक्षक), सहकारी समितियां, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयावधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे.

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयावधि पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छतरपुर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 02 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एम. के. रावत,

(418) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

स्वामी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक 738, दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 1921, दिनांक 01 जून, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 15 दिन की समयावधि दी गई थी. संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर अनुसार दिनांक 16 जून, 2012 को संस्था की विशेष आमसभा आयोजित की गई, आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया गया. निर्णय की प्रति संलग्न की है एवं संस्था को परिसमापन में लाए जाने की मांग की है. सदस्यों द्वारा आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए स्वामी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने

के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(430)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

मानव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक 698, दिनांक 15 जून, 1996 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2050-24, दिनांक 28 मई, 2011 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए मानव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ओ. पी. मालवीय को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री ओ. पी. मालवीय, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(430-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

नयनतारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी.-749, दिनांक 09 जुलाई, 1997 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2293, दिनांक 02 जुलाई, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 15 दिन की समयावधि की गई थी. संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर अनुसार दिनांक 16 जुलाई, 2012 को संस्था की विशेष आमसभा आयोजित की गई, आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को परिसमापन में लाए जाने का निर्णय लिया गया. निर्णय की प्रति संलग्न की है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने की मांग की है. सदस्यों द्वारा आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए नयनतारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. मेड़तवाल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. मेड़तवाल, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

के. के. द्विवेदी,
उप-पंजीयक.

(430-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अशोकनगर

अशोकनगर, दिनांक 22 अगस्त, 2012

क्र./परि./2012/500.—खनन कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, खिरियादेवत, पंजीयन क्रमांक 902, दिनांक 22 जनवरी, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1271, दिनांक 01 जून, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी, देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अत: मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनन कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, खिरियादेवत का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(431)

अशोकनगर, दिनांक 22 अगस्त, 2012

क्र./परि./2012/501.—जाग्रत कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, कदवाया, पंजीयन क्रमांक 478, दिनांक 12 दिसम्बर, 1973 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1269, दिनांक 01 जून, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी, देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अत: मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जाग्रत कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, कदवाया का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक.

(431-A)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच

(संयुक्त जिला कार्यालय भवन, नीमच)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

द्वारा— अध्यक्ष,

जागृति उपभोक्ता भण्डार मर्या., नीमच.

जागृति प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., नीमच, तहसील नीमच, जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 781, दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 के संबंध में इस कार्यालय की जानकारी में आया है कि—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है.
2. संस्था अपनी पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्य तथा सहकारी अधिनियम, नियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने सदस्यों के हितों का संवर्धन नहीं कर पा रही है.
3. अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था के निर्वाचन आदेश जारी होने के उपरांत भी सदस्यों की अक्रियाशीलता के कारण निर्वाचन नहीं करा पा रही है.

अत: मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था, जिला नीमच, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-क, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए जागृति प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., नीमच, तहसील नीमच, जिला नीमच, जिसका पंजीयन क्रमांक 781, दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 है, को एतद्द्वारा यह सूचना-पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के अन्दर आप उक्त कारणों पर अपना लिखित उत्तर मय प्रमाण के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाकर कि आपको उक्त कारणों के संबंध में कुछ नहीं कहना है यथा आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

द्वारा— अध्यक्ष,

सालवी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., दारू.

सालवी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., दारू, तहसील ..... जिला नीमच पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक ..... के संबंध में इस कार्यालय की जानकारी में आया है कि—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है.
2. संस्था अपनी पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्य तथा सहकारी अधिनियम, नियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने सदस्यों के हितों का संवर्धन नहीं कर पा रही है.
3. अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था के निर्वाचन आदेश जारी होने के उपरांत भी सदस्यों की अक्रियाशीलता के कारण निर्वाचन नहीं करा पा रही है.

अत: मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था, जिला नीमच, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-क, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए सालवी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., दारू, तहसील ..... जिला नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक ..... है, को एतद्द्वारा यह सूचना-पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के अन्दर आप उक्त कारणों पर अपना लिखित उत्तर मय प्रमाण के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाकर कि आपको उक्त कारणों के संबंध में कुछ नहीं कहना है यथा आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

द्वारा— अध्यक्ष,

आदर्श उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, सिंगोली.

आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित सिंगोली, तहसील जावद, जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 27 अप्रैल, 2002 के संबंध में इस कार्यालय की जानकारी में आया है कि—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है.
2. संस्था अपनी पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्य तथा सहकारी अधिनियम, नियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने सदस्यों के हितों का संवर्धन नहीं कर पा रही है.

3. अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है.

4. संस्था के निर्वाचन आदेश जारी होने के उपरांत भी सदस्यों की अक्रियाशीलता के कारण निर्वाचन नहीं करा पा रही है.

अत: मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था, जिला नीमच, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-क, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, सिंगोली, तहसील जावद, जिला नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 27 अप्रैल, 2002 है, को एतद्द्वारा यह सूचना-पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के अन्दर आप उक्त कारणों पर अपना लिखित उत्तर मय प्रमाण के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाकर कि आपको उक्त कारणों के संबंध में कुछ नहीं कहना है यथा आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

द्वारा— अध्यक्ष,

दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, अमरपुरा.

दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, अमरपुरा, तहसील मनासा, जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 171, दिनांक 08 जनवरी, 1987 के संबंध में इस कार्यालय की जानकारी में आया है कि—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है.

2. संस्था अपनी पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्य तथा सहकारी अधिनियम, नियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने सदस्यों के हितों का संवर्धन नहीं कर पा रही है.

3. अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है.

4. संस्था के निर्वाचन आदेश जारी होने के उपरांत भी सदस्यों की अक्रियाशीलता के कारण निर्वाचन नहीं करा पा रही है.

अत: मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था, जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-क, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, अमरपुरा, तहसील मनासा, जिला नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक 171, दिनांक 08 जनवरी, 1987 है, को एतद्द्वारा यह सूचना-पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के अन्दर आप उक्त कारणों पर अपना लिखित उत्तर मय प्रमाण के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाकर कि आपको उक्त कारणों के संबंध में कुछ नहीं कहना है यथा आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. आर. निरगुडे,
सहायक रजिस्ट्रार.

(432-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

सिंचाई सहकारी संस्था मर्यादित, नेपरी, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 25 जून, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2359, दिनांक 24 अगस्त, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(434)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्यादित, हरलाल का पुरा , तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 670, दिनांक 24 मार्च, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2360, दिनांक 24 अगस्त, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(434-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्यादित, बाबू का पुरा, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 641, दिनांक 22 जनवरी, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2361, दिनांक 24 अगस्त, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(432-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

सिंचाई सहकारी संस्था मर्यादित,चैता का पुरा, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 671, दिनांक 24 मार्च, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2362, दिनांक 24 अगस्त, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(434-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

सिंचाई सहकारी संस्था मर्यादित,कोटसिरथरा, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 886, दिनांक 10 जून, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2363, दिनांक 24 अगस्त, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(434-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

हुल्कादेवी फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्यादित, माधौगढ़ , तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1047, दिनांक 31 अगस्त, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2112, दिनांक 06 नवम्बर,1997 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(434-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

फल, साग-भाजी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रिझौनी, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1122, दिनांक 21 मार्च, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1941, दिनांक 04 अक्टूबर, 1997 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(434-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्यादित,खुमान का पुरा, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1099, दिनांक 08 अक्टूबर, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1889, दिनांक 25 सितम्बर, 1997 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(434-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

सतीश लेखन साम्रगी सहकारी संस्था मर्यादित, सबलगढ़, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 357, दिनांक 30 मार्च, 1992 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/8520, दिनांक 11नवम्बर,1997 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(432-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

खनिज सहकारी संस्था मर्यादित,भटपुरा तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1151, दिनांक 16 जून, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2106, दिनांक 25 अक्टूबर,2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

उपेन्द्रसिंह,
उप पंजीयक.

(432-I)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 25 अगस्त, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/446/विदिशा, दिनांक 07 अप्रैल, 2006 से खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, उदयपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./222, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड गंज बासौदा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, उदयपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, उदयपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./222, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप पंजीयक.

(441)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सतना

सतना, दिनांक 16 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परि./2012/361.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./790, दिनांक 26 मई, 2010 द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, बेलहटा, पंजीयन क्रमांक 301, दिनांक 26 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, बेलहटा, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 301,

दिनांक 26 दिसम्बर, 1998 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(435)

सतना, दिनांक 16 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परि./2012/362.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1249, दिनांक 28 जुलाई, 2009 द्वारा संस्था गर्गी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मुड़हाकला, पंजीयन क्रमांक 357, दिनांक 19 फरवरी, 2002 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए गर्गी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मुड़हाकला, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 357, दिनांक 19 फरवरी, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(435-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1062, दिनांक 12 अगस्त, 2011 द्वारा संस्था प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बांधी, पंजीयन क्रमांक 294, दिनांक 31 अगस्त, 1998 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री टी. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बांधी, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 294, दिनांक 31 अगस्त, 1998 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(435-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./38, दिनांक 10 जनवरी, 2012 द्वारा संस्था श्रुति महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, वार्ड क्र. 41, सतना, पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 28 मई, 2002 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रुति महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, वार्ड क्र. 41, सतना, पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 28 मई, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(435-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1084, दिनांक 13 अगस्त, 2010 द्वारा संस्था माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रगौली, पंजीयन क्रमांक 397, दिनांक 04 जून, 2002 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रगौली, जिलासतना पंजीयन क्रमांक 397, दिनांक 04 जून, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(435-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./38, दिनांक 10 जनवरी, 2012 द्वारा संस्था कापी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मुख्यतारगंज, सतना, पंजीयन क्रमांक 260, दिनांक 08 जनवरी, 1997 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कापी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मुख्यतारगंज, सतना, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 260, दिनांक 09 जनवरी, 1997 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

संजय नायक,
उप-रजिस्ट्रार.

(435-E)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 29 फरवरी, 2012

क्र./291/परि./2012..—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रातीखेड़ी, तहसील दलौदा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक / AR/MDS/708, दिनांक 07 मई, 1993 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./159, दिनांक 30 जनवरी, 2008 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी

समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, सुनील कुमार सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 फरवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(436)

मन्दसौर, दिनांक 29 फरवरी, 2012

क्र./292/परि./2012.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रीछा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक / AR/MDS/388, दिनांक 08 जनवरी, 1987 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./159, दिनांक 30 जनवरी, 2008 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल ओझा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, सुनील कुमार सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 फरवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

सुनील कुमार सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(436-A)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./उपंज/04/2593, जबलपुर, दिनांक 16 नवम्बर, 2004 के द्वारा संस्था श्रमिक कल्याण साख सहकारी समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 529, दिनांक 11 अगस्त, 1976 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन. सी. सोनी, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं देनदारी-लेनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक होगया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था श्रमिक कल्याण साख सहकारी समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 529, दिनांक 11 अगस्त, 1976 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(437)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./98/3713, जबलपुर, दिनांक 16 दिसम्बर, 1998 के द्वारा संस्था साहू उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बघराजी, पंजीयन क्रमांक 71, दिनांक 11 जनवरी, 1961 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक कु. पूर्णिमा भगत, सविअ, कुण्डम द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था साहू उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बघराजी, पंजीयन क्रमांक 71, दिनांक 11 जनवरी, 1961 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(437-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./96/3903, जबलपुर, दिनांक 07 अक्टूबर, 1996 के द्वारा संस्था पी एण्ड टी सर्किल को-ऑप केन्टीन, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 741, दिनांक 27 जुलाई, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र सिंह, वसनि, द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था पी एण्ड टी सर्किल को-ऑप केन्टीन, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 741, दिनांक 27 जुलाई, 1994 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 22 फरवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. सी. अग्रवाल,
सहायक पंजीयक.

(437-B)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
प्रशिक्षित श्रमिक, कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ

यह कि प्रशिक्षित श्रमिक, कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ, का पंजीयन क्र. 303, दिनांक 30 सितम्बर, 1965 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
अपेक्स ग्रुप श्रमिक संघ कर्मचारी सहकारी संस्था मर्या., मेघनगर.

यह कि अपेक्स ग्रुप श्रमिक संघ कर्मचारी सहकारी संस्था मर्या., मेघनगर, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 888, दिनांक 04 अप्रैल, 1995 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
बजरंग महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ.

यह कि बजरंग महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 985, दिनांक 06 अक्टूबर, 2003 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., नवापाड़ा.

यह कि रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., नवापाड़ा, विकासखण्ड रामा, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 1038, दिनांक 18 जून, 2009 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
जन कल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ.

यह कि जन कल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 12, दिनांक 02 दिसम्बर, 1959 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या.,नवापाड़ा.

यह कि मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या.,नवापाड़ा, विकासखण्ड रामा, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 1069, दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरसिंगपुरा.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरसिंगपुरा, विकासखण्ड रामा, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 1023, दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालीया छोटी.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालीया छोटी, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 932, दिनांक 29 मार्च, 1997 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 10 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सजेली मालजी सात.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सजेली मालजी सात, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 1011, दिनांक 12 अप्रैल, 1997 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठिकरिया.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठिकरिया, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 917, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरकोट.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरकोट, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 534, दिनांक 16 मार्च, 1984 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खच्चरटोडी.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खच्चरटोडी, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 465, दिनांक 04 अगस्त, 1980 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झुमका.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झुमका, विकासखण्ड रामा, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 836, दिनांक 19 अप्रैल, 1994 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फलेडी.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फलेडी, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 1045, दिनांक 22 सितम्बर, 2009 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टुडका.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टुडका, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 1044, दिनांक 22 सितम्बर, 2009 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेमरिया का पंजीयन क्रमांक 505, दिनांक 25 जून, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1096, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेमरिया का पंजीयन क्रमांक 505, दिनांक 25 जून, 1988 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करड़ावद बड़ी का पंजीयन क्रमांक 1031, दिनांक 18 नवम्बर, 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1097, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करड़ावद बड़ी का पंजीयन क्रमांक 1031, दिनांक 18 नवम्बर, 2008 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हमीरगढ़ का पंजीयन क्रमांक 826, दिनांक 27 जुलाई, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1095, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हमीरगढ़ का पंजीयन क्रमांक 826, दिनांक 27 जुलाई, 1993 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुम्भाखेड़ी का पंजीयन क्रमांक 530, दिनांक 15 मार्च, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1094, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुम्भाखेड़ी का पंजीयन क्रमांक 530, दिनांक 15 मार्च, 1984 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अन्तरवेलिया का पंजीयन क्रमांक 464, दिनांक 04 अगस्त, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1093, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अन्तरवेलिया का पंजीयन क्रमांक 464, दिनांक 04 अगस्त, 1980 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनपुरा का पंजीयन क्रमांक 608, दिनांक 01 जून, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1092, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत

सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनपुरा का पंजीयन क्रमांक 608, दिनांक 01 जून, 1991 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पंथ बोराली का पंजीयन क्रमांक 906, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1091, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पंथ बोराली का पंजीयन क्रमांक 906, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगराल का पंजीयन क्रमांक 543, दिनांक 25 मई, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1090, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगराल का पंजीयन क्रमांक 543, दिनांक 25 मई, 1989 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सारंगी का पंजीयन क्रमांक 564, दिनांक 25 जून, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1088, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सारंगी का पंजीयन क्रमांक 564, दिनांक 25 जून, 1988 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिटोल का पंजीयन क्रमांक 856, दिनांक 12 जुलाई, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1087, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिटोल का पंजीयन क्रमांक 856, दिनांक 12 जुलाई, 1994 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अनन्तखेड़ी का पंजीयन क्रमांक 918, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1086, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अनन्तखेड़ी का पंजीयन क्रमांक 918, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़ाघोसल्या का पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 12 अप्रैल, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1085, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़ाघोसल्या का पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 12 अप्रैल, 1982 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(438-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुतरेटी का पंजीयन क्रमांक 910, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1084, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुतरेटी का पंजीयन क्रमांक 910, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(439)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खाड्याखाल का पंजीयन क्रमांक 1027, दिनांक 30 जून, 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1083, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत

सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खाड्याखाल का पंजीयन क्रमांक 1027, दिनांक 30 जून, 2008 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(439-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कचनारिया का पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1082, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कचनारिया का पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(439-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिण्डल का पंजीयन क्रमांक 1013, दिनांक 12 अप्रैल, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1080, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिण्डल का पंजीयन क्रमांक 1013, दिनांक 12 अप्रैल, 2007 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(439-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोदडिया का पंजीयन क्रमांक 908, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1079, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोदडिया का पंजीयन क्रमांक 908, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(439-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुअरझर का पंजीयन क्रमांक 912, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1078, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुअरझर का पंजीयन क्रमांक 912, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(439-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आम्बा का पंजीयन क्रमांक 835, दिनांक 19 अप्रैल, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1089, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आम्बा का पंजीयन क्रमांक 835, दिनांक 19 अप्रैल, 1994 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

(439-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

जनकल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, थांदला का पंजीयन क्रमांक 479, दिनांक 31 मार्च, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2011/1081, झाबुआ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत जनकल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., थांदला को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कमलसिंह गार्डे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, थांदला को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया गया है.

बबलू सातनकर,
उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

(439-G)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर-2012-भाद्र 30, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 जून, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के कुछ ही जिलों में कहीं-कहीं वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील सुसनेर, शुजालपुर (शाजापुर), सिरोंज, कुरबाई, नटेरन, (विदिशा), ब्यावरा (राजगढ़),जबलपुर (जबलपुर), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील जिला ग्वालियर (ग्वालियर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील बडौद (शाजापुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला अनूपपुर, नीमच, धार, प. निमाड़, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, बैतूल, हरदा, जबलपुर, डिण्डोरी,छिन्दवाड़ा तथा सिवनी जिले में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सागर, सतना, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, राजगढ़, विदिशा तथा छिन्दवाड़ा जिले में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06 मई, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) बाजरा, गेहूँ, राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .		समान.		
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	18.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		अलसी समान.		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .		सुधरी हुई.		
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. सारंगपुर	. .				
7. पलेरा	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. ओरछा	. .				
10. लिधौरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) चना, जौ, अलसी, राई-- सरसों, मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू, प्याज सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उड़द, मूँग, गन्ना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. सेमरिया	. .				
4. मऊगंज	. .				
5. मनगवां	. .				
6. हनुमना	. .				
7. हजूर	. .				
8. गुढ़	. .				
9. रायपुरकर्चुलियान	. .				
10. जबा	. .				
11. नईगढ़ी	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		मसूर, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) . .		
4. जैतपुर	. .				
5. बुढ़ार	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई- सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		तुअर, मसूर, आलू, जौ, मटर	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		समान.		
			(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुबासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	10.6		आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .		(2) . .		
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	35.0				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	1.6				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) प्याज अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
***जिला झाबुआ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	. .	
3. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. वरला	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	2.4				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	3.0				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	5.0				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	. .				
4. जावर	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. बुधनी	. .				
8. रेहटी	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचौली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आमला	. .				
8. आठनेर	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
4. हण्डिया	. .				
5. रहटगांव	. .				
6. सिराली	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	2.2				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	3.0				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेडा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मसूर, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		कम.		
4. बरघाट	. .		(2) . .		
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख,	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .		तिवड़ा समान.		
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, अशोकनगर, गुना, रीवा, रतलाम, झाबुआ, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(422)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.